1	प्रकाश बनाम मांगीलाल नियमित दीवानी प्रकरण संख्या–07 / 2016	

	<u>04.12.2019</u> :– वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 14 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा, जिस पर आज उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान विद्वान् अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है। इस प्रकरण के लम्बित रहते हुए स्थगन आदेश के बावजूद प्रतिवादी द्वारा भूमि के हिस्से को निरन्तर आगे से आगे विक्रय किया जा रहा है एवं खाते की (रेकॉर्ड) की स्थिति परिवर्तित कर दी है, जिसके कारण इस प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज राजस्व रेकॉर्ड होकर उसके फर्जी होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः उक्त जमाबंदी की नकल रेकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावें। इन तर्कों के विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को न तो आगे से आगे किसी को विक्रय किया गया है और न ही रेकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन किया है। उक्त दस्तावेज की नकल वादी द्वारा पूर्व में भी प्रस्तुत की जा सकती थीं लेकिन अब प्रकरण को विलम्बित करने के लिए उक्त दस्तावेज बहुत देरी से पेश किया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दस्तावेज रेकॉर्ड पर नहीं लिया जावे। उभयपक्ष के तर्कों को सुना। पत्रावली तथा आदेश 7 नियम 14 (3) के प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी के स्तर पर लम्बित है तथा इस प्रकरण में वादी की ओर से वादपत्र में संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है और वाद में प्रतिवादी सं. 1 से 6 को रुपयों की आवश्यकता होने से अपने संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमियों को	

	सात लाख रुपये में विक्रय करना निश्चित कर दो लाख रुपये वादी से नकद अग्रिम राशि पेटे प्राप्त कर दिनांक 22.08.2014 को कथित अनुबंध वादी के पक्ष में निष्पादित किये जाने का तथ्य अपने अभिवचनों में वर्णित किया है। वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किया गया है वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात यानि वादग्रस्त कृषि भूमियों की जमाबंदी की नकल है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज की प्रकरण से सुसंगतता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है और यदि उक्त दस्तावेज को रेकॉर्ड पर लिया जाता है तो इसमें प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार भी प्रभावित होना नहीं पाये जाते हैं क्योंकि प्रकरण अभी साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर लम्बित है, बल्कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु उक्त दस्तावेज का रेकॉर्ड पर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित विविध दीवानी प्रकरण सं. 14/16 में दिनांक 13.12.2016 के आदेश द्वारा प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात की मौके व अभिलेख की स्थिति कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार यथावत बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद भी किया गया है और वादी ने मौके की वर्तमान स्थिति की जमाबंदी की नकल रेकॉर्ड पर लिवाना चाहा है जो कि प्रकरण से सुसंगत दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु उक्त दस्तावेज को रेकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परन्तु चूंकि पत्रावली दिनांक 14.11.2018 से साक्ष्य वादी में चल रही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिनांक 18.09.2019 को विलम्ब से पेश किया गया है इसलिये वादी पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 500/–रुपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रेकॉर्ड पर रखा जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/प्रतिपरीक्षण में दिनांक..... को पेश हो।	

3	प्रकाश बनाम मांगीलाल नियमित दीवानी प्रकरण संख्या–07 / 2016	